

क्रमांक : प.6(ट)(302)लेखा / डीएलबी / 14एफसी / 2015 / 20407

दिनांक: 6.12.2017

-:: स्वीकृति आदेश ::-

विषय : 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जनरल बेसिक ग्राण्ट राशि नगर निगमों हेतु विभाग के बैंक खाते में हस्तान्तरण बाबत।

निर्देशानुसार चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत द्वितीय किस्त के रूप में राज्य के नगर निगमों को राशि रुपये 9934.39 लाख (अक्षरे रुपये नन्यानवें करोड चौतीस लाख उनतालीस हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए निगमों को आवंटित किये जाने हेतु विभाग के बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाखों में)

विकलेय मद	बजट प्रावधान	
मांग संख्या - 29	स्वीकृत प्रावधान	19798.39
2217 - शहरी विकास	पुनर्विनियोजन	70.39
80 - सामान्य	पूर्व स्वीकृति पर व्यय	9934.39
191- नगर निगम को सहायता	इस स्वीकृति पर व्यय	9934.39
(35) - 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	शेष	0.00
[01] 14वें वित्त आयोग के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान (प्रतिबद्ध)		
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)		

(Amount in lacs)

Sr. No.	Name of ULB	Amount
1	Nagar Nigam Jaipur	4,127.66
2	Nagar Nigam Jodhpur	1,491.84
3	Nagar Nigam Kota	1,686.86
4	Nagar Nigam Ajmer	766.85
5	Nagar Nigam Bikaner	937.91
6	Nagar Nigam Udaipur	564.02
7	Nagar Nigam Bharatpur	359.25
Total		9934.39

आवंटित राशि का व्यय 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही किया जावे। यदि राशि का व्यय दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया तो उस हेतु निगम के आयुक्त व लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी उस कृत्य हेतु उत्तरदायी होंगे।


यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.क्रमांक 271700597 दिनांक 05.11.2017 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की जा रही है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(302)लेखा / डीएलबी / 14एफसी / 2015 / 20408-445 दिनांक: 6.12.2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।

03. कार्यकारी निदेशक, RUDSICO जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय/आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर।
06. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
07. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
08. जिला कलेक्टर, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
09. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय एवम् आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति में वर्णित राशि का अविलम्ब DD/Pay order/RTGS ICICI Bank Ltd. Rajapark, Jaipur के पक्ष में तैयार कर उपलब्ध करावें ताकि RTGS के माध्यम से राशि सम्बन्धित नगरीय निकायों को निर्धारित अवधि में हस्तान्तरित की जा सके।
15. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्वीकृति में आपकी निकाय के सम्मुख अंकित राशि निकाय के बैंक खाते में प्राप्त होना सुनिश्चित करावें। यदि उक्त राशि निकाय के बैंक खाते में निर्धारित समय सीमा में हस्तान्तरित नहीं होती है तो अविलम्ब विभाग में दूरभाष नम्बर 0141-2223074 पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क करें। इस राशि का उपयोग विभागीय आदेश क्रमांक प.6(308)लेखा/डीएलबी/14एफसी/2015/3858 दिनांक 30.05.2016 एवं 11398 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार किया जावे।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया आप उक्त राशि के हस्तान्तरण की सूचना आपके क्षेत्राधिकार की निकायों से संकलित कर आश्वस्त होवें, कि राशि सम्बन्धित निकाय के खातों में जमा हुई अथवा नहीं।
17. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.बैंक लिमिटेड, राजापार्क शाखा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार राशि सम्बन्धित निकायों के बैंक खाते में हस्तान्तरित कर सूचना विभाग को उपलब्ध करावें।
18. प्रभारी वेब साईट, निदेशालय/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
19. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा।
20. सुरक्षित पत्रावली।


 (हुलास राय पवार)
 मुख्य लेखाधिकारी